न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :–94 / 2020

1. श्री भैरू लाल S/o जेठमल सुनार नि० शिवपुर
2. श्री बालू लाल S/o जेठमल सुनार नि० शिवपुर
3. लादी D/o जेठमल सुनार
4. अकरी D/o जेठमल सुनार
5. मटी D/o जेठमल सुनार

––प्रार्थी।

वनाम

1. श्री गोपाल S/o कालूराम सेनक नि० शिवपुर तह० करेडा- कौशल वि० सं० 1/15

––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 8 / 9 / 2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के हत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवपुर पटवार हल्का शिवपुर 0अ0नि0 क्षेत्र डोगराद में उनके खाता संख्या 303 की आ0नं0 2061 2062 2072 3786/2072 किस 4 रकबा 4.05 बिघा, खाता नं0 304 आराजी नं0 2033 2060 2063 2064 2065 2073 2074 3782/2062 3783/2065 किस 2 रकबा 6.02 बिघा, खाता नं0 313 आराजी नं0 2035 2070 2071 किस 3 रकबा 1.08 बिघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते / संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/7/2020 को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवपुर पटवार हल्का शिवपुर भू0अ0नि0 क्षेत्र डोगराद में उनके खाता संख्या 303 की आ0नं0 2061 2062 2072 3786/2072 किस 4 रकबा 4.05 बिघा, खाता नं0 304 आराजी नं0 2033 2060 2063 2064 2065 2073 2074 3782/2062 3783/2065 किस 2 रकबा 6.02 बिघा, खाता नं0 313 आराजी नं0 2035 2070 2071 किस 3 रकबा 1.08 बिघा भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 डोगराद को 1050/–/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को वनाये रखते हुये मुस्तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)